"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 160] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 13 जून 2006—ज्येष्ठ 23, शक 1928

वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 जून 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/6/2006/वांक/पांच (53).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 71 के अधीन बनाये गये नियम से संबंधित अधिसूचना क्रमांक एफ-10/6/2006/वाक/पांच (12), दिनांक 21 मार्च, 2006 जो छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 86 दिनांक 21 मार्च, 2006 के पृष्ठ क्रमांक 171 से 172 (264) तक में प्रकाशित हुई है, का निम्नलिखित शुद्धि पत्र प्रकाशित किया जाता है :—

शुद्धि-पत्र

अनुक्रमांक (1)	राजपत्र का पृष्ठ क्रमांक (2)	विवरण जहां शुद्धि की जाना है (3)	अशुद्ध (4)	शुद्ध (5)
1.	172 (150)	पंक्ति क्रमांक 47	he	be
2.	172 (152)	पंक्ति क्रमांक 14 तथा 15.	provided of selling or distributing goods in the case of a dealer who resides outside the state in	provided in

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	172 (152)	पंक्ति क्रमांक 43 तथा 44.	about the correction of	that
4.	172 (156)	पंक्ति क्रमांक 29	proof the	proof of the
5.	172 (158)	पंक्ति क्रमांक 4	exrity	expiry
6.	172 (164)	पंक्ति क्रमांक 16	form 41 the	form 41 to the
7.	172 (175)	पंक्ति क्रमांक 22	witch	which
8.	172 (180)	पंक्ति क्रमांक 27	in proof the	in proof of the

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 जून 2006

क्रमांक एफ-10/6/2006/वाक/पांच (53).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/6/2006/वाक/पांच (53), दिनांक 13-6-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 13th June 2006

NOTIFICATION

No. F-10/6/2006/CT/V (53).—Following corrigendum is being published in respect of Notification No. F-10/6/2006/CT/V (12) dated 21-3-2006 which was published in Chhattisgarh Gazette (Extraordinary) No. 86 dated 21-3-2006 on pages from 171 to 172 (264), for the rules framed under section 71 of Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) :—

CORRIGENDUM

S. No	Page of the Gazette	Description where correction to be made	Incorrect	Correct
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	172 (150)	Line No. 47	he	be

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	172 (152)	Line No. 14 and 15.	provided of selling or distributing goods in the case of a dealer who resides outside the state in	provided in
3.	172 (152)	Line No. 43 and 44.	about the correction of	that
4.	172 (156)	Line No. 29	proof the	proof of the
5.	172 (158)	Line No. 4	exrity	expiry
6.	172 (164)	Line No. 16	form 41 the	form 41 to the
7.	172 (175)	Line No. 22	witch	which
8.	172 (180).	Line No. 27	in proof the	in proof of the

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 13 जून 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/33/2006/वाक/पांच (54).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ-10/33/2006/वाक/पांच (23), दिनांक 7-4-2006 में निम्नानुसार संशोधन करती है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना के अनुक्रमांक 1 में शब्द "सिल्क, सिल्क के कपड़े और" विलोपित किये जाए.

2. उक्त संशोधन 1-4-2006 से प्रवृत्त होना माना जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 जून 2006

क्रमांक एफ-10/33/2006/वाक/पांच (54).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/33/2006/वाक/पांच (54), दिनांक 13-6-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 13th June 2006

NOTIFICATION

No. F-10/33/2006/CT/V (54).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 15 of Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) the State Government hereby makes following amendment in Notification No. F-10/33/2006/CT/V (23) dated 7-4-2006 :—

AMENDMENT

In the said Notification in serial No. 1 the words "silk, silk cloth and" shall be omitted.

2. This amendment shall be deemed to have come into force with effect from 1-4-2006.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 13 जून 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/65/2006/वाक/पांच (57).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची-2 के भाग-2 में 1 अप्रैल, 2006 की प्रभावशीलता से निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन

1. अनुक्रमांक 39 के सामने कॉलम (2) में शब्द "कप" के पश्चात् शब्द "प्लेट" जोड़ा जाए.

2. अनुक्रमांक 86 के सामने कॉलम (2) में शब्दों "पी वी सी पाइप" के पश्चात् शब्दों "तथा उनकी फिटिंग्स" जोड़ा जाए.

3. अनुक्रमांक 36, 46, 82 एवं 91 को विलोपित किया जाए.

4. अनुक्रमांक 118 के सामने कालम (2) में शब्दों ''लेखन यंत्र, ज्योमेट्री बाक्स, कलर बाक्स, क्रेयान, पेंसिल शार्पनर एवं लिखने की स्याही'' के स्थान पर शब्दों ''स्टेशनरी सामग्री जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए'' प्रतिस्थापित किया जाए.

5. अनुक्रमांक 118 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाए :—

अ. क्र.	विवरण	धारा 8 (एक) के अधीन कर की दर: (प्रतिशत)	धारा 8 (दो) के अधीन कर की दर: (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)
119	आयरन एवं स्टील, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक या अन्य सामग्री से निर्मित बाल्टी किंतु बहुमूल्य सामग्री से निर्मित को छोड़कर.	4	
120	फिनायल	4	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 जून 2006

क्रमांक एफ-10/65/2006/वाक/पांच (57).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/65/2006/वाक/पांच (57), दिनांक 13-6-06 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 13th June 2006

NOTIFICATION

No. F-10/65/2006/CT/V (57).—In exercise of the powers conferred by section 15-A of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby makes the following amendments in part II of Schedule-II of the said act with effect from 1st April, 2006 :—

AMENDMENT

1. in column (2) against serial No. 39 after the word "cups" the word "plates" shall be added.

2. in column (2) against serial No. 86 after the words "PVC pipes" the words "and fittings thereof" shall be added.

3. entry No. 36, 46, 82 and 91 shall be omitted.

4. in column (2) against S. No. 118 in place of the words "Writing instruments, geometry boxes, crayons, pencil, sharpners and writing ink" the words "Stationery as notified by the State Government" shall be substituted.

5. after serial No. 118 the following entries shall be added :—

S. No. (1)	Description (2)	Rate of tax u/s. 8 (i) : (percent) (3)	Rate of tax u/s. 8 (ii) : (percent) (4)
119	Buckets made of iron and steel, aluminium, plastic or other materials excluding those made of precious materials.	4	
120	Phenyl	4	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 13 जून 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/65/2006/वाक/पांच (58).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की अनुसूची- 2 के भाग-दो की प्रविष्टि क्रमांक 118 में की गई अपेक्षाओं के अनुसरण में राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल को उक्त प्रविष्टि के प्रयोजन के लिये ''लेखन-सामग्री'' अधिसूचित करती है, यथा —

अनुसूची

क्रमांक (1)	सामानों का नाम (2)	क्रमांक (1)	सामानों का नाम (2)
1.	एकाउंट बुक एवं उनके खुले पन्ने	12.	सभी प्रकार के स्टीकर्स
2.	एडेसिव टेप	13.	सभी प्रकार के लेखन पैड
3.	आलपिन, जेम्स पिन, ड्राईंग पिन	14.	अमोनिया लिक्वीड
4.	सभी प्रकार के डायरियां	15.	अमोनिया रोल
5.	सभी प्रकार के शैक्षणिक माडल्स	16.	बैच कव्हर
6.	सभी प्रकार के लिफाफे	17.	बैच कव्हर क्लिप
7.	सभी प्रकार के फाइल, फाइल पैड, फोल्डर, डाक पैड	18.	बैच डोरी
8.	सभी प्रकार के ग्लू स्टीक एंड गम्स	19.	बाइन्डर क्लिप
9.	सभी प्रकार के स्याही जिसमें छापे की स्याही शामिल है किंतु टोनर एवं कारतूसों को छोड़कर.	20.	ब्लेक बोर्ड इंक
		21.	ब्लैक, ग्रीन एवं व्हाईट लेखन बोर्ड
10.	सभी प्रकार के पेन, बाल पेन, उनके निब तथा रिफिल	22.	कैलेण्डर
11.	सभी प्रकार के रजिस्टर्स	23.	केनवास बोर्ड एवं रोल

(1)	(2)
24.	कार्बन पेपर
25.	सेलोटेप कटर
26.	चेकबुक कव्हर
27.	चेक सेफ स्टीकर
28.	क्लिप बोर्ड एवं बोर्ड क्लिप
29.	कलर मिक्सिंग प्लेट
30.	कम्प्यूटर स्टेशनरी
31.	करेक्शन फ्लूड एवं टेप
32.	गिनतारा (काउंटिंग फ्रेम)
33.	कव्हर रोल (नोटबुक के लिये)
34.	डेम्पर
35.	डेटर स्टैम्प एवं नंबरिंग स्टैम्प
36.	डेस्क कैलेण्डर स्टैण्ड
37.	डेस्क आर्गेनाइजर/प्लानर
38.	डिसेक्शन बाक्स एवं पार्ट्स
39.	ड्राईंग बोर्ड एवं क्लिप
40.	ड्राईंग ब्रश
41.	ड्राईंग इंक
42.	ड्राईंग पेन
43.	ड्राईंग शीट
44.	ड्रापर
45.	डुप्लीकेट बुक
46.	डुप्लीकेटिंग इंक
47.	डस्टर
48.	एजुकेशनल ड्राईंग सर्वे इन्स्ट्रूमेंट
49.	इंजीनियरिंग कम्पास एवं पार्ट्स
50.	इरेजर
51.	अभ्यास पुस्तिका (जो सामान्यत: कापी के नाम से जाने जाते हैं), ग्राफ बुक्स तथा प्रयोगशाला (लेबोरेट्री) नोट बुक.
52.	फैक्स रोल
53.	फाइल लेश एवं टैग
54.	फूटरूल (स्केल)
55.	ज्यामिट्री बाक्स एवं पार्ट्स
56.	गिफ्ट कार्ड एवं स्टीकर्स
57.	ग्राफ पेपर रोल एवं शीट
58	गम टेप रोल
59.	होलगार्ड
60.	आई-कार्ड
61.	इन्डेक्स (प्रिंटेड)
62.	इंक रिमुव्हर
63.	निमंत्रण पत्र
64.	लेबल धागा
65.	लेबलर मशीन एवं इंक कार्टरिज
66.	लेमिनेशन कव्हर
67.	लेमिनेशन मशीन एवं लेमिनेशन रोल
68.	लगेज लेबल
69.	मेग्नेटिक कम्पास
70.	मैप पाइंटर
71.	मैप स्टेण्ड
72.	मिनी ड्राफ्टर तथा फ्रेंच कर्व
73.	नंबरिंग मशीन
74.	ओ एच पी शीट
75.	पेपर एवं पेपर बोर्ड
76.	पेपर कटर तथा फोटो कापी कटर
77.	पेपर फास्टनर
78.	पेपर स्लीप
79.	पेपर ट्रे
80.	पेपर वेट
81.	पीसीओ रिबन
82.	पेन स्टेण्ड
83.	पेंसिल बाक्स
84.	पेंसिल एवं पेंसिल लीड
85.	पिन कुशन
86.	पोकर
87.	पोस्ट-इट फ्लेग्स
88.	प्रिंटेड स्टेशनरी
89.	पंचिंग मशीन
90.	रबर बैंड
91.	रूल लंकड़ी का 18/24 इंच
92.	कैंची (सिजर)
93.	सीलिंग वैक्स
94.	सेट स्केवेयर
95.	शार्पनर
96.	स्पाइरल बाइंडिंग मशीन एवं मटेरियल
97.	स्प्रिंग काल बेल
98.	स्टैम्प पैड
99.	स्टेम्प स्टेण्ड
100.	स्टेपलर एवं स्टेपलर पिन
101.	स्टेंसिल्स
102.	स्टुडेण्ट कलर क्रेयन सहित
103.	टेबल नेम प्लेट
104.	टेबल टोकन तार
105.	टेग गन
106.	तार फाइल
107.	टाट पट्टी

(1)	(2)	(1)	(2)
108.	टेलेक्स रोल	113.	टायपिंग ब्रश, आयल एवं रिबन
109.	ट्रेसिंग फिल्म	114.	यु-क्लिप
110.	ट्रेसिंग ग्राफ रोल	115.	विजिटिंग कार्ड
111.	ट्रेसिंग पेपर रोल	116.	विजिटिंग कार्ड एल्बम
112.	ट्वाईन बाल	117.	लेखन यंत्र

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावशील मानी जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 जून 2006

क्रमांक एफ -10/65/2006/वाक/पांच (58).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/65/2006/वाक/पांच (58), दिनांक 13-6-06 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 13th June 2006

NOTIFICATION

No. F-10/65/2006/CT/V (58).—In pursuance of the requirement under entry 118 of part II of Schedule - 2 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005),, the State Government hereby notifies the goods specified in Schedule below as "Stationery" for the purpose of the said entry, namely,—

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of Articles (2)	S. No. (1)	Name of Articles (2)
1.	Account books & its loose leaf sheets	4.	All types of diaries
2.	Adhesive tape	5.	All types of educational models
3.	All pin, gems pin, drawing pin	6.	All types of envelopes

(1)	(2)
7.	All types of files, file pad, folder, dak pad
8.	All types of glue stick & gums
9.	All types of ink including printing ink but excluding toner and cartridges.
10.	All types of pen, ball pen, their nibs & refills
11.	All types of registers
12.	All types of sticker
13.	All types of writing pad
14.	Ammonia liquid
15.	Ammonia roll
16.	Batch cover
17.	Batch cover clip
18.	Batch lace
19.	Binder clip
20.	Black board ink
21.	Black, green & white writing board
22.	Calendar
23.	Canvas Board & roll
24.	Carbon paper
25.	Cello tape cutter
26.	Cheque book cover
27.	Cheque safe sticker
28.	Clip board & board clip
29.	Colour mixing plate
30.	Computer stationery
31.	Correction fluid & tape
32.	Counting frame
33.	Cover roll (for note book)
34.	Damper
35.	Dater stamp & numbering stamp
36.	Desk calendar stand
37.	Desk organizer/planner
38.	Dissection box & parts
39.	Drawing board & clip
40.	Drawing brush
41.	Drawing ink
42.	Drawing pen
43.	Drawing sheet
44.	Dropper
45.	Duplicate book
46.	Duplicating ink
47.	Duster
48.	Educational drawing survey instrument
49.	Engineering compass & parts
50.	Eraser
51.	Exercise books, (commonly known as copy) graph book and laboratory note book.
52.	Fax roll
53.	File lace & tag
54.	Foot rules (scale)
55.	Geometry box & parts
56.	Gift card & stickers
57.	Graph paper roll/sheet
58.	Gum tape roll
59.	Hole guard
60.	I-card
61.	Index (printed)
62.	Ink remover
63.	Invitation card
64.	Label dhaga
65.	Labeler machine & its ink cartridge
66.	Lamination cover
67.	Lamination machine & lamination roll
68.	Luggage label
69.	Magnetic compass
70.	Map pointer
71.	Map stand
72.	Mini drafter & French curve
73.	Numbering machine
74.	O H P sheet
75.	Paper & paper board
76.	Paper cutter & photo copy cutter
77.	Paper fastener
78.	Paper slip
79.	Paper tray
80.	Paper weight
81.	PCO ribbon
82.	Pen stand
83.	Pencil box
84.	pencils & pencils lead
85.	Pin cushion
86.	Poker
87.	Post it flags
88.	Printed stationery
89.	Punching machine
90.	Rubber band
91.	Rule wooden 18"/24"
92.	Scissors
93.	Sealing wax
94.	Set square
95.	Sharpener
96.	Spiral binding machine & material
97.	Spring call bell
98.	Stamp pad
99.	Stamp stand
100.	Stapler & stapler pin
101.	Stencils
102.	Student colour including crayons
103.	Table name plate
104.	Table token tar
105.	Tag gun
106.	Tar file
107.	Tat Patti
108.	Telex roll

(1)	(2)	(1)	(2)
109.	Tracing film	114.	U-Clip
110.	Tracing graph roll	115.	Visiting card
111.	Tracing paper roll	116.	Visiting card album
112.	Twin ball	117.	Writing instrument
113.	Typing brush, oil & ribbon		

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 1st April, 2006.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 13 जून 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/66/2006/वाक/पांच (59).—चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, अतएव केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, व्यवसायी द्वारा उपधारा (4) की अपेक्षाओं की पूर्ति करने पर, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को कालम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, उक्त अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अधीन राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :—

अनुसूची

अ. क्र. (1)	वस्तुओं की श्रेणी (2)	छूट की सीमा (3)	निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए छूट प्रदान की गई है (4)
1.	कॉपर वायर रॉड, कॉपर प्लेट, कॉपर स्ट्रिप	अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए.	जब छत्तीसगढ़ राज्य में निर्मित हो.
2.	कॉपर वायर जिसमें कॉपर वाइंडिंग वायर सम्मिलित है.	अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए.	जब छत्तीसगढ़ राज्य में निर्मित हो.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 जून 2006

क्रमांक एफ - 10/66/2006/वाक/पांच (59).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/66/2006/वाक/पांच (59), दिनांक 13-6-06 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 13th June 2006

NOTIFICATION

No. F-10/66/2006/CT/V (59).—Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in public interest.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (5) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby, on the fulfilment of the requirements laid down in sub-section (4), exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said Act, to the extent specified in column (3) from the date of publication in official gazette subject to the restrictions and conditions specified in column (4) of the said Schedule :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Class of goods (2)	Extent of Exemption (3)	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted (4)
1.	Copper Wire Rod, Copper flat, Copper strips.	Partly so as to reduce the rate of tax to 1 percent.	When manufactured in Chhattisgarh State.
2.	Copper Wire including copper winding wire.	Partly so as to reduce the rate of tax to 2 percent.	When manufactured in Chhattisgarh State.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.